

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 576] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 1978/पौष 7, 1900
No. 576] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 1978/PAUSA 7, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1978

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० प्रा० 743 (अ)/ सं० ई (सी) प्रो. 1677/एएम (83) .— आयात-निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 49वां संशोधन आदेश, 1978 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में,

(1) खुला सामान्य लाइसेंस-4 में क्रम सं० 5 के सामने विद्यमान प्रविष्टि हटा दी जाएगी।

(2) खुला सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं० 70 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

1	2	3	4
"71.	चीनी	बी० 33	निर्यात की अनुमति निम्नलिखित को दी जाएगी। (1) भारत का राज्य व्यापार निगम लिमिटेड; घोर (2) चीनी के कारखाने स्वयं अपने निजी उत्पाद में से।"

[मिनिम सं० 28/24/78-ई० I]

का० वें० शेखाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION
(Department of Commerce)

New Delhi, the 28th December, 1978

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

S. O. 743(E)/ No. E(C)O. 1977/AM (83).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Forty-ninth Amendment Order, 1978.

2. In the Exports (Control) Order, 1977

(i) in O. G. L. 4, the existing entry against S. No. 5, shall be deleted.

(ii) in O. G. L. 3, the following shall be added after S. No. 70:—

1	2	3	4
"71.	Sugar	B. 33	Export allowed by the : (i) State Trading Corporation of India Ltd; and (ii) sugar factories themselves from their own production".

[F. No. 28/24/78-EI]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.